भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 184

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

कर्नाटक में पेयजल के नमूनों की जांच

***184. श्री जी. कुमार नायकः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विगत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में पेयजल के नमूनों का कोई स्वतंत्र परीक्षण कराया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है तथा कितने नमूनों की जांच की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह, नाइट्रेट, लवणता और सूक्ष्मजीव संदूषण सहित संदूषक-वार आनुपातिक रूप से पेयजल के कितने नमूनों को संदूषित या निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है;

(ग) क्या राज्य के किसी भी प्रभावित क्षेत्र में उपचारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा कर्नाटक में प्रभावित क्षेत्रों में जल संदूषण की समस्या को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं: और

(ङ) क्या कर्नाटक के ऐसे जिलों को कोई अतिरिक्त वितीय सहायता अथवा विशेष निधि प्रदान की गई है जहां जल संदूषण पाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'कर्नाटक में पेयजल के नमूनों की जांच' के संबंध में श्री जी. कुमार नायक द्वारा पूछे गए दिनांक 12/02/2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *184 के संबंध में भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। कर्नाटक राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में पेयजल के नमूनों का परीक्षण किया गया है। पिछले तीन वर्षों में जांचे गए जिले-वार नमूनों का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (आज तक) के दौरान कर्नाटक में संदूषित या निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए पेयजल के नमूनों की संख्या और अनुपात का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रयोगशाला में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या		निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या	
	रासायनिक मापदंडों के लिए किया गया परीक्षण	जीवाणु मापदंडों के लिए किया गया परीक्षण	रासायनिक संदूषण वाले नमूनों की संख्या	जीवाणु संदूषण वाले नमूनों की संख्या
2023-24	251763	46309	24917	4670
2024-25	272166	118079	17261	2574
2025-26 (आज की तिथि के अनुसार)	196194	50134	10911	452

इसके अलावा, संदूषण-वार (फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह, नाइट्रेट, लवणता और माइक्रोबियल संदूषण सहित) विवरण **अनुबंध-2(क), अनुबंध-2(ख)** और **अनुबंध-2(ग)** में दिया गया है।

कर्नाटक राज्य ने सूचित किया है कि पुष्टिकरण परीक्षण के बाद जल गुणवत्ता रिपोर्ट के निष्कर्षों से संबंधित उपचारात्मक उपाय नियमित आधार पर किए गए हैं और नियमित कीटाणुशोधन तथा ओएचटी की सफाई निरतंर की जाती है। इसके अलावा, जल गुणवत्ता का

अवलोकन करने के लिए जिला तथा तालुक स्तर पर टास्क फोर्स समिति का गठन करने की सूचना दी गई है और कर्नाटक के राज्य विभाग की ओर से एसओपी जारी की गई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 10.02.2026 की स्थिति के अनुसार, राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-डीविजन, ब्लॉक, मोबाइल और/या डब्ल्यूटीपी सुविधा प्रयोगशालाओं जैसे विभिन्न स्तरों पर 2,870 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं (कर्नाटक में 107 सहित) हैं, जिनमें से 1,707 प्रत्यायित/मान्यता प्राप्त (कर्नाटक में 80 सहित) हैं।

जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। जेजेएम के तहत, परिवारों हेतु नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता के मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों के आधार पर पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सावधिक आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करने और जहाँ आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सलाह भी दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्तित जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, केवल अंतरिम उपाय के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे विशेष रूप से जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करें ताकि प्रत्येक परिवार को उसकी पेय और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) की दर से पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके।

पेयजल हेतु जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट, नमूनों के संग्रहण आदि सहित जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल भी विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित किए गए जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

विभिन्न हितधारकों के परामर्श से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिसंबर 2024 में 'ग्रामीण परिवारों को पाइपगत पेयजल आपूर्ति की जल गुणवत्ता की निगरानी हेतु संक्षिप्त पुस्तिका' जारी की गई है। इस पुस्तिका में विभिन्न परीक्षण बिंदुओं जैसे स्रोत, शोधन संयंत्र, भंडारण और संवितरण स्थलों पर पेयजल के नमूनों का व्यापक परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिवारों को आपूर्ति किया गया जल निर्धारित गुणवत्ता का है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच के सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता सृजन, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

कर्नाटक राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कर्नाटक सतत ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना (कार्यक्रम अवधि 2023-2028) के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधियां बैक्टीरियोलॉजिकल कीटाणुशोधन प्रणाली और प्रयोगशालाओं के रखरखाव के लिए आबंटित की गई हैं।

*****

अनुबंध-1

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *184 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वतंत्र एजेंसी से जांचे गए नमूनों का विवरण				
क्र.सं.	**जिले का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1.	बागलकोट	1050	152	0
2.	बेल्लारी	0	4114	1434
3.	बेलगावी	2666	27	0
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	3	2600	0
5.	बेंगलुरु शहरी	1785	19	0
6.	बीदर	0	0	1188
7.	चामराजनगर	762	0	0
8.	चिक्काबल्लापुरा	3705	484	0
9.	चिक्कमगलुरु	929	1244	0
10.	चित्रदुर्ग	1512	0	0
11.	दक्षिण कन्नड़	0	0	0
12.	दावनगेरे	2263	4	0
13.	धारवाड़	580	13	0
14.	गदग	0	0	0
15.	हसन	3608	13	0
16.	हावेरी	2464	2	0
17.	कलबुर्गी	934	132	1347
18.	कोडागु	759	0	0
19.	कोलार	242	4138	0
20.	कोप्पल	1716	0	0
21.	मांड्या	1984	409	0
22.	मैसूर	1415	5265	0
23.	रायचूर	0	2282	1591
24.	रामनगर	2746	0	0
25.	शिवमोग्गा	1111	1537	0
26.	तुमकुरु	1921	0	0
27.	उडुपी	0	0	0
28.	उत्तर कन्नड़	0	0	0
29.	विजयनगर	1215	1	0
30.	विजयपुरा	1341	52	0
31.	यादगीर	780	47	1225
कुल		**37491**	**22535**	**6785**

अनुबंध 2(क)

वर्ष 2023-24 के दौरान संदूषित या निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाए गए पेयजल नमूने (संदूषण-वार)

अनुबंध 2(क)										
2023-24										
क्र.सं.	जिला	कुल क्षारीयता	टीडीएस	कुल कठोरता	लौह	कुल आर्सेनिक	फ़्लोराइड	नाइट्रेट	ई कोलाई	कुल कोलीफॉर्म
1.	बागलकोट	24	109	241	2	0	181	75	161	174
2.	बेल्लारी	47	99	152	0	0	29	94	0	0
3.	बेलगावी	97	81	236	2	0	6	248	273	372
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	0	0	3	0	0	4	1	0	0
5.	बेंगलुरु शहरी	0	5	45	0	0	0	27	338	444
6.	बीदर	1	4	34	1	0	9	47	0	0
7.	चामराजनगर	30	23	136	2	0	2	19	0	0
8.	चिक्काबल्लापुरा	7	0	13	34	0	389	563	404	838
9.	चिक्कमगलुरु	92	53	145	33	0	9	22	14	32
10.	चित्रदुर्ग	166	76	220	4	0	437	504	0	106
11.	दक्षिण कन्नड़	0	2	4	121	0	1	0	0	1
12.	दावनगेरे	61	38	123	0	0	14	86	0	235
13.	धारवाड़	39	27	85	0	0	0	71	78	80
14.	गदग	5	53	84	6	0	27	92	0	0
15.	हसन	1	1	20	0	0	11	20	81	182
16.	हावेरी	12	55	219	4	0	17	90	0	220
17.	कलबुर्गी	102	50	144	0	0	70	128	84	85
18.	कोडागु	1	0	1	0	0	0	9	0	0
19.	कोलार	7	11	171	0	0	77	116	0	0
20.	कोप्पल	31	73	278	1	0	104	296	0	1
21.	मांड्या	64	3	264	11	0	31	316	48	483
22.	मैसूर	6	1	182	0	0	1	94	0	5
23.	रायचूर	69	164	252	12	0	320	262	0	10
24.	रामनगर	8	0	82	0	0	36	140	0	24
25.	शिवमोग्गा	1	1	1	0	0	10	0	35	57
26.	तुमकुरु	108	15	349	20	0	211	300	0	140
27.	उडुपी	0	1	3	9	0	0	3	0	1
28.	उत्तर कन्नड़	0	4	10	55	0	2	11	0	0
29.	विजयनगर	48	27	78	3	0	75	28	0	60
30.	विजयपुरा	129	91	302	1	0	196	340	117	126
31.	यादगीर	9	3	14	1	0	0	1	56	60
कुल		1165	1070	3891	322	0	2269	4003	1689	3736

वर्ष 2024-25 के दौरान संदूषित या निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाए गए पेयजल नमूने (संदूषण-वार)

अनुबंध 2(ख)										
	2024-25									
क्र.सं.	जिला	कुल क्षारीयता	टीडीएस	कुल कठोरता	लौह	कुल आर्सेनिक	फ़्लोराइड	नाइट्रेट	ई कोलाई	कुल कोलीफॉर्म
1.	बागलकोट	19	39	126	0	0	84	45	110	0
2.	बेल्लारी	8	58	70	0	0	8	48	42	0
3.	बेलगावी	112	91	259	2	0	3	302	6	0
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	0	0	29	0	0	0	20	117	0
5.	बेंगलुरु शहरी	0	2	9	0	0	0	3	57	0
6.	बीदर	3	5	25	0	0	20	15	0	0
7.	चामराजनगर	7	6	74	1	0	0	0	45	0
8.	चिक्काबल्लापुरा	2	0	1	1	0	209	382	127	0
9.	चिक्कमगलुरु	72	21	97	29	0	0	98	79	0
10.	चित्रदुर्ग	87	40	138	1	0	252	231	0	0
11.	दक्षिण कन्नड़	0	1	2	87	0	0	0	0	0
12.	दावनगेरे	18	18	68	0	0	6	56	47	0
13.	धारवाड़	11	10	53	0	0	0	22	4	0
14.	गदग	2	51	64	0	0	28	47	0	0
15.	हसन	4	1	11	0	0	32	12	5	0
16.	हावेरी	0	24	119	0	0	7	36	0	0
17.	कलबुर्गी	84	36	122	1	0	25	83	13	0
18.	कोडागु	0	0	0	1	0	0	3	0	0
19.	कोलार	7	11	122	0	0	72	87	380	0
20.	कोप्पल	5	48	294	1	0	86	349	196	0
21.	मांड्या	65	3	236	3	0	28	373	201	0
22.	मैसूर	4	5	223	0	0	1	21	235	0
23.	रायचूर	26	91	148	5	0	279	198	117	0
24.	रामनगर	9	2	68	0	0	39	134	0	0
25.	शिवमोग्गा	1	0	1	0	0	3	0	92	0
26.	तुमकुरु	65	28	294	1	0	248	198	0	0
27.	उडुपी	0	0	0	0	0	0	0	2	0
28.	उत्तर कन्नड़	0	3	7	20	0	0	7	4	0
29.	विजयनगर	5	9	5	0	0	8	0	0	0
30.	विजयपुरा	44	87	346	0	0	209	359	9	0
31.	यादगीर	23	29	29	2	0	0	0	6	0
कुल		683	719	3040	155	0	1647	3129	1894	0

अनुबंध 2(ग)

वर्ष 2025-26 के दौरान संदूषित या निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाए गए पेयजल नमूने (संदूषण-वार)

अनुबंध 2(ग)										
2025-26										
क्र.सं.	**जिला**	**कुल क्षारीयता**	**टीडीएस**	**कुल कठोरता**	**लौह**	**कुल आर्सेनिक**	**फ़्लोराइड**	**नाइट्रेट**	**ई कोलाई**	**कुल कोलीफॉर्म**
1.	बागलकोट	2	10	64	0	0	13	8	6	6
2.	बेल्लारी	0	37	38	0	0	6	12	42	42
3.	बेलगावी	82	65	184	3	0	4	230	6	6
4.	बेंगलुरु ग्रामीण	0	0	10	0	0	0	4	0	0
5.	बेंगलुरु शहरी	0	0	5	0	0	0	1	0	0
6.	बीदर	1	5	35	0	0	28	34	48	48
7.	चामराजनगर	3	5	49	0	0	0	0	0	0
8.	चिक्काबल्लापुरा	2	0	0	0	0	73	212	0	0
9.	चिक्कमगलुरु	26	3	63	8	0	5	71	36	36
10.	चित्रदुर्ग	40	17	76	2	0	241	214	7	8
11.	दक्षिण कन्नड़	0	0	1	73	0	0	0	0	0
12.	दावनगेरे	14	15	57	0	0	5	26	1	1
13.	धारवाड़	0	10	42	0	0	0	22	0	0
14.	गदग	0	8	38	0	0	36	34	0	0
15.	हसन	0	0	1	0	0	5	4	0	0
16.	हावेरी	1	23	164	5	0	9	41	0	0
17.	कलबुर्गी	60	30	76	0	0	32	37	64	64
18.	कोडागु	1	0	2	0	0	0	4	0	0
19.	कोलार	0	3	57	0	0	107	70	1	1
20.	कोप्पल	0	32	212	2	0	89	285	0	4
21.	मांड्या	36	17	142	7	0	25	336	0	0
22.	मैसूर	5	2	131	0	0	0	9	0	0
23.	रायचूर	15	45	67	1	0	125	119	45	45
24.	रामनगर	6	0	40	0	0	85	117	0	0
25.	शिवमोग्गा	0	0	0	0	0	1	0	1	1
26.	तुमकुरु	41	50	269	2	0	100	67	0	0
27.	उडुपी	0	0	1	2	0	0	0	2	3
28.	उत्तर कन्नड़	0	1	2	9	0	0	3	3	13
29.	विजयनगर	3	3	6	0	0	9	0	0	0
30.	विजयपुरा	28	75	277	0	0	171	264	0	0
31.	यादगीर	21	17	36	0	0	0	0	53	55
	कुल	387	473	2145	114	0	1169	2224	315	333